संख्या- 87 /2024/ 578 /चार-2024-1783879

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांक 12 फरवरी, 2024**

विषय- रामोत्सव अयोध्या-2024 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या द्वारा रामकथा पार्क में दिनांक 01 फरवरी से 24 मार्च, 2024 तक आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4312/सं0नि0-15(अ0रा0एवं वै0शो0सं0)/2023-24, दिनांक 08 फरवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रामोत्सव अयोध्या-2024 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या द्वारा रामकथा पार्क में दिनांक 01 फरवरी से 24 मार्च, 2024 तक आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रू0 280.37 लाख (रूपये दो करोड़ अस्सी लाख सैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त धनराशि आहरित कर अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) विदेशी रामलीलाओं के यातायात, आवास एवं भोजन आदि पर व्यय हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 201.00 लाख में रामलीला दलों का उल्लेख न होने के दृष्टिगत रू0 100.00 लाख की धनराशि इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि यदि इस हेतु रू0 100.00 लाख के अतिरिक्त व्यय होता है तो संस्थान की मांग के आधार पर पृथक से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।
(3) दिनांक 19 से 21 फरवरी, 2024 को प्रस्तावित कठपुतली कार्यक्रम हेतु श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव, वाराणसी के 07 सदस्यीय दल को 03 तीन प्रस्तुतियों हेतु निर्धारित मानदेय धनराशि रू0 05.00 लाख एवं दिनांक 08 से 10 मार्च, 2024 के मध्य छाया कठपुतली कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु श्री संजीत केरल के 07 सदस्यीय दल को 03 प्रस्तुतियों के लिए निर्धारित मानदेय रू० 02.00 लाख औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।
(4) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ/ निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(6) कलाकारों के मानदेय का भुगतान संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या- 2769/चार-2022 दिनांक 27.12.2022 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(7) संस्थान द्वारा समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(9) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(10) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-21- रामोत्सव, अयोध्या-2023-24-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधिनित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 87 /2024/ 578 (1) /चार-2024-178387957, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या।
5- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।